

आज अदालत उपस्थान्ड अधिकारी, माण्डलः
रापालानदारः वनाम - हिरा (कैरवा)

करम मुद्राका ५/१०५५५५ नं० २० मस २०२०

माण्डल व लक्ष्मण
अहकाम या हस
हुसम की मसाल
से जाके हुस

हुसम या काराकासी मस इतिशादकस जका

३-२०

राद / माशनापन राद जाँव प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपरीत का समान श्रुतिक फासे दिनांक २५-३-२० का
पेश हो।

उपस्थान्ड अधिकारी वन
रजिस्टर कालकर माण्डल

२५८

पत्रावली पेश हुई, अतिरिक्त प्रमाण प्राप्त
साथिक कार्य स्थान / प्रोड्यूसर रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
१५२०

१५८

उपस्थान्ड अधिकारी राजकीय
कार्य प्रोड्यूसर
अस पत्रावली दिनांक १५-३-२० पेश हो।

उपस्थान्ड अधिकारी माण्डल

१-५-२०

कार्य प्रोड्यूसर
अस पत्रावली दिनांक २८-५-२० पेश हो।

उपस्थान्ड अधिकारी माण्डल

२८-५-२०

उपस्थान्ड अधिकारी राजकीय
कार्य प्रोड्यूसर
अस पत्रावली दिनांक १३-८-२० पेश हो।

१३-८-२०

पत्रावली पेश हुई, वकील माधुसूदन अस्थित, अशुभिन
के समान बाउ बागिल केर मादल डुर जिसे मा.
पद जिसे असे, तहसीलदार माण्डल डी मीका रिफरि
मातल डी जिसे शासिन पत्रावली की अर्ह /



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्राथमिकता का कितनी मर्तबा आवाजे फिलाथी
जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं. इनके विवेक
एक तरफ कार्यवाही किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। बकील प्राथमिकता का प्राथमिकता
स्वीकार किया जाकर निर्वप पृष्ठ से लिखा
जाकर शामिल पगावली किया गया।
पगावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अतिरिक्त
मांडल जिला मीलवाड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी - महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या -

20/20 पा.पत्र

श्री हिरादाश्री लोगाचीत गिपशी- केरिया तहसील-माण्डल [नगौर]

-प्रार्थी

बनाम

श्री हिरादाश्री लोगाचीत गिपशी- केरिया तहसील-माण्डल [नगौर]
(महकाफित 31-पत्र संलग्न ६)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13.08.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1762/1, 1825/0, 1841/0 कुल किता 0.6 रकबा 0.5 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.03.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1762/1, 1825/0, 1841/0, 1873/6, 3054/873 कुल किता 0.6 रकबा 0.5 बीघा 14 बिस्वा भूमि के दायीं तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक 3 आलमगल 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा